

संसदीय विशेषाधिकारों का हनन

स्रोत: हदिसतान टाइम्स

राष्ट्रपति के अभिषेक पर टपिणी किये जाने के पश्चात् कुछ **सांसदों** के खिलाफ **संसदीय विशेषाधिकार हनन** का औपचारिक नोटिस दायर किया गया।

- **विशेषाधिकार का उल्लंघन** तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी **सदस्य** या **सदन** के विशेषाधिकारों, **अधिकारों** या **उन्मुक्तियों** की **अवहेलना** करता है या उन पर **आक्षेप** करता है।
- **परिचय:** **संसदीय विशेषाधिकार और उन्मुक्ति** सांसदों और **वधायकों** को **बाहरी हस्तक्षेप** के बिना उनका प्रभावी कार्य-चालन सुनिश्चित करने हेतु प्रदत्त **विशेष अधिकार** हैं।
- **स्रोत:**
 - संवधान का **अनुच्छेद 105, 122, 194** और **212**।
 - **संसदीय परंपराएँ** (वर्ष 1947 की **ब्रिटिश संसदीय परिषदी** पर आधारित)।
 - **प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियम** (**लोकसभा** और **राज्यसभा**)
 - न्यायिक निर्वाचन (**सर्वोच्च न्यायालय** और **उच्च न्यायालय** के निर्णय)
 - **सांविधिक वधियाँ** (**संसद** द्वारा अधिनियमित वधियाँ) (वर्तमान में, संसदीय विशेषाधिकारों को परिभाषित करने वाला संसद का कोई अधिनियम नहीं है)।
- **संसदीय विशेषाधिकार में शामिल हैं:**
 - **वैयक्तिक विशेषाधिकार:** **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता**, **वधिकि कार्यवाही** से उन्मुक्ति, **गरिफ्तारी** से उन्मुक्ति आदि।
 - **सामूहिक विशेषाधिकार:** **गुप्त बैठकें**, **अन्वेषण शक्तियाँ**, **न्यायिक उन्मुक्ति** आदि।
- **अनुच्छेद 87** के तहत, राष्ट्रपति, लोकसभा के लिये प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत **संसद के दोनों सदनों में अभिषेक** करेगा।

और पढ़ें: **संसदीय विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ**